15/10/2020 पत्रावली वास्ते आदेश आज पेश हुई। वकील वादी उप०। प्रकरण में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। वरवस्त बहस वकील वादी ने अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए मुताबिक अनुतोष दावा डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, दस्तावेजात व मुख्य परीक्षण हेतु PW1 तथा PW2 के शपथ पत्रों का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील वादी पर सगौर मनन किया गया जिनसे वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय मेरे द्वारा पृथक से लिखवाया

उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो त्याबाद तामील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 15/10/2020 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित कर न्यायालयी मुद्रा सहित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
RAS
उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)